

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट गोविन्दगढ़ (अलवर) राज.

प्रकरण सं. तारीख रजू. /

चेरना कुमारी कोटा बनाम दिनेश कुमार

तारीख हुगम	हुगम या कार्यवाही मग इनिशियल जज	नम्बर 1 तारीख प्रकरण सं. जो हुगम जारी है
21/12/21	वकील जर्जी उपस्थित। प्रहारापक 21/12/21 वकील जर्जी ने मूल कांड में आपपेश किया। इजाजती है। इजाजती गढ़ के नोटिस तबक हो पत्रवली दिनांक 13-1-22 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर)	
13/1/22	वकील जर्जी उपस्थित। इजाजती गढ़ की तबकी है। दिनांक 10/3/22 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर)	
10/3/22	वकील जर्जी उपस्थित। इजाजती गढ़ की तबकी है। पत्रवली दिनांक 7/4/22 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर)	
7/4/22	वकील जर्जी उपस्थित। इजाजती गढ़ की तबकी है। पत्रवली दिनांक 26.5.22 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर)	
26/5/22	वकील जर्जी उप/ P.O. साहव ह्यानीत हो पा पत्रवली दिनांक 23/6/22 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर)	

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

27.9.23

त.की.ल. साणी अनुपस्थित
साबिक आदेश दिनांक 21.2.21
की पालना में पत्रावली वास्तो तलवी राजी 05क से अंतिम मोक
दिनांक 06.11.23 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर)

06.11.23

पत्रावली पेश। P.O. साहब चुनाप है।
काफी है।
पत्रावली दिनांक 13.12.23 को पेश हो।

रीडर

13.12.23

त.की.ल. साणी अनुपस्थित
साबिक आदेश दिनांक 02.12.21
की पालना में पत्रावली वास्तो तलवी राजी 05क से अंतिम मोक
दिनांक 10.1.24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर)

10/1/24

पत्रावली पेश। P.O. साहब K.R.S.
काफी है।
पत्रावली दिनांक 08/01/24 को पेश हो।

रीडर

08.2.24

पत्रावली हस्तुत हुई। पत्रावली दीर्घावधि से तलवी में
है। प्राथमिक को अनेक अवसर इस माध्य के तदम
किये गये हैं कि पत्रावली तलवी में तलखाने हस्तुत
किये जाते परन्तु केश तलखाना हस्तुत नहीं किये
गये हैं। पत्रावली में तलखाने पेश करने हेतु अंतिम
अवसर के रूप में अनेक अवसर तदम किये गये हैं।
परन्तु तलखाने हस्तुत नहीं किये गये हैं।

सिबिल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9नियम-05 के
अनुसूची में प्राथमिक को खारिज किया जाना उचित नहीं
है। अतः प्राथमिक पर-212 सि.प्र.स. के आदेश
9नियम 05 में खारिज किया जाता है। आदर तामिल
तकनीक पत्रावली रखित दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०